सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 24/प्रा0पत्र/2023 **दायरा दिनांक :–01.02.2023**

GCMS ID–2023/161

1. **मंगलप्रसाद आ0 गणेशदास जाति बाबाजी निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0**

प्रार्थी

बनाम

1. **राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री दिलीपसिंह गौड
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 23/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 603 व पुराना 563 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3961/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 326 व पुराना 308 की भूमि खसरा संख्या 3960/2570 रकबा 091619 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौथ्दया भूमि अभिलेख निरीक्षक सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जिसमें खातेदार कृषक के स्थान पर मंगलप्रसाद पुत्र गणेशदास के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी उसकी कृषि भूमि खसरा संख्या 3961/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 3960/2570 रकबा 1.1619 हैक्टेयर पर बहैसियत खातेदार के रूप में कृषि कर रहा है, प्रार्थी उक्त कृषि भूमियों पर पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में प्रार्थी जिस स्थान पर काबिज काश्त कर रहा है। पूर्व राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में गलत तरमीम कर अंकन कर दिया गया है, जो गलत है। प्रार्थी के स्थान वाली कृषि भूमि पर प्रार्थी की कृषि भूमि की तरमीम न कर अन्य स्थान पर प्रार्थी की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में तरमीम कर दिया गया है जो गलत है। भविष्य

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमियों के भू प्रबन्धन, कृषि ऋण एवं रहन, बेचान करता है तो प्रार्थी को काफी परेशानियों को सामना करना पडेगा, जबकि प्रार्थी पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही अपनी भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहा है किन्तु पूर्व राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थी की काबिज काश्त भूमियों के खसरा नम्बरान को राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में मूल स्थान के बजाय नीचे के स्थान पर दर्ज कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा मौखिक व लिखित में अप्रार्थी से निवेदन किया गया, किन्तु अप्रार्थी तहसीलदार महोदय हिण्डोली द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3961/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 3960/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में पुनः सही तरीके से तरमीम करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि के सुधार कृषि ऋण व रहन, विक्रय व हस्तान्तरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भमि खसरा संख्या 3961/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 3960/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3961/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 3960/2570 रकबा 0.1619 हैक्टेयर के स्थान की गलत तरमीम कर अंकन कर दिया गया है जबकि वास्तविक रूप से मौका स्थिति के अनुसार सही तरमीम कराने का प्रार्थी अधिकारी है। इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा-अप्रार्थी को कई बार लिखित व मौखिक रूप से निवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई जिससे प्रार्थी कृषि सुधार, ऋण, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण में हमेशा बाधा आ रही है। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना पत्र के साथ धारा 80(2)जा0दी0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बडौदिया पटवार हल्का बडौदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। प्रार्थना पत्र के साथ तलबाना, सम्मन शुल्क अलग से पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय को आदेश अप्रार्थी को जारी किया जावे कि वह राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में प्रार्थी की कृषि भूमि की गई गलत तरमीम के अंकन को सही करें। उपरोक्त के बाबत अप्रार्थी को तहरीर रिपोर्ट जारी की जाकर निर्देशित किया जावे कि वह न्यायालय आदेश की शीघ्र से शीघ्र पालना कर न्यायालय में पेश करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वादी को प्रदान करायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :- राजस्व/25/573 दिनांक 03.04.2026 अनुसार खसरा संख्या 3960/2570 व खसरा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

संख्या 3961/2570 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में जहॉ खसरा संख्या 3960/2570 व खसरा संख्या 3961/2570 की तरमीम हो रही है वहॉ खातेदार का कब्जा नहीं होकर मूल खसरा संख्या 2570 सिवायचक पर है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि वाके बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया के खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 3960/2570 व खाता संख्या 603 के खसरा संख्या 3961/2570 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 3960/2570 व खाता संख्या 603 के खसरा संख्या 3961/2570 वाके बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 3960/2570 व खाता संख्या 603 के खसरा संख्या 3961/2570-की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 23.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446